



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042026-271565
CG-DL-E-04042026-271565

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 3, 2026/ चैत्र 13, 1948

No. 232]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 3, 2026/ CHAITRA 13, 1948

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

मसौदा अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 252(ब).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत जनसाधारण तथा संभावित रूप से प्रभावित अन्य हितधारकों की सूचना के लिए निम्नलिखित मसौदा नियम बनाए जाते हैं; तथा एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि राजपत्र में निहित उक्त मसौदा अधिसूचना पर विचार, राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण के लिए उपलब्ध कराए जाने की तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने पर, अथवा उसके बाद किया जाएगा।

यदि मसौदा अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई भी व्यक्ति आपत्तियों का मुझाव प्रस्तुत करने में रुचि रखता हो तो वे लिखित रूप में केंद्रीय सरकार के विचारार्थ, उपर्युक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर, सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली - 110003 को भेज सकते हैं अथवा उन्हें ई-मेल पते sahnk@cag.gov.in तथा amit.vashishtha@nic.in पर प्रेषित कर सकते हैं।

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

- इन नियमों को टार-बॉल्स प्रबंधन नियम, 2026 कहा जाएगा।
- ये नियम राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष पश्चात प्रभावी होंगे।

2. प्रबोधन :

(i) ये नियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे जो किसी भी प्रकार से टार-बॉल्स का उत्पादन, संग्रहण, प्राप्ति, भंडारण, परिवहन, शोधन, निपटान या प्रबंधन करते हैं; इसमें तेल निष्कर्षण एवं अन्वेषण सुविधाएँ, जहाज़, तेल टैंकर, तेल प्रतिष्ठान के मालिक अथवा इससे संबंधित अधिकृत व्यक्ति सम्मिलित हैं।

3. परिभाषाएँ—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,

- क) "अधिनियम" से अभिप्राय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) है;
- ख) "प्राधिकार" से अभिप्राय उस अनुमति से है जो निर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा इन नियमों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशा-निर्देश के अनुसार टार-बॉल्स के संग्रहण, प्राप्ति, भंडारण, परिवहन, शोधन, निपटान तथा/वा किसी अन्य प्रकार के प्रबंधन हेतु दी गई अनुमति है।
- ग) "अधिकृत व्यक्ति" से अभिप्राय उम अधिभोगी या संचालक से है जिसे निर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा इन नियमों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशा-निर्देश के अनुसार टार-बॉल्स के संग्रहण, प्राप्ति, भंडारण, परिवहन, शोधन, निपटान तथा/वा प्रबंधन हेतु अधिकृत किया गया हो;
- घ) "सह-प्रसंस्करण" से अभिप्राय उन टार-बॉल्स के उपयोग से है जिनका ऊष्मीय मान 1500 किलो कैलोरी से अधिक हो, जिन्हें कच्चे मात के रूप में अथवा ऊर्जा के स्रोत के रूप में अथवा दोनों रूपों में प्राकृतिक खनिज संसाधनों अथवा जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर अथवा उनके पूरक के रूप में औद्योगिक प्रक्रियाओं में प्रयुक्त किया जाता है, विशेषकर ऊर्जा-महान उद्योगों जैसे सीमेंट उत्पादन में;
- ङ) "उत्पादक" से अभिप्राय किसी भी ऐसे संस्थान से है जो तेल अथवा टार-बॉल्स का रिसाव जाने अथवा अनजाने रूप में करता है; इसमें तेल टैंकर, तेल कंपनी, जहाज़, तेल प्रतिष्ठान का स्वामी अथवा कोई परिवहनकर्ता सम्मिलित है;
- च) "मस्मीकरण" से अभिप्राय एक अभियांत्रिक प्रक्रिया से है जिसमें अपशिष्ट पदार्थों को उच्च तापमान पर जलाने या दहन करने के द्वारा ऊष्मीय रूप से विघटित किया जाता है;
- छ) "तेल प्रतिष्ठान के मालिक" से अभिप्राय उस व्यक्ति या कंपनी से है जो किसी प्रतिष्ठान/जहाज़/पोत का मालिक, नियंत्रक अथवा संचालक है, जहाँ तेल (कच्चा या ईंधन अथवा दोनों) का निष्कर्षण, अन्वेषण, उपयोग, परिवहन या प्रबंधन किया जाता है;
- ज) "अधिभोगी" से अभिप्राय टार-बॉल्स के संबंध में उस व्यक्ति, एजेंसी अथवा संस्थान से है जिनका टार-बॉल्स पर उसके उत्पन्न होने के बाद और अंतिम निपटान से पूर्व भौतिक और/अथवा प्रशासनिक नियंत्रण हो, जैसा भी मामला हो;
- झ) "टार-बॉल्स के शोधन, भंडारण और निपटान सुविधा का परिचालक" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो परिसंस्कृतमय अपशिष्ट सहित टार-बॉल्स के संग्रहण, प्राप्ति, भंडारण, परिवहन, शोधन, निपटान या प्रबंधन हेतु किसी सुविधा का मालिक, नियंत्रक अथवा संचालक है;
- ञ) "पूर्व-प्रसंस्करण" से अभिप्राय अपशिष्ट प्रवाहों के पूर्व-शोधन से है ताकि उन्हें भट्टी में डालने हेतु उपयुक्त/समानरूप बनाया जा सके और प्रक्रिया में उतार-चढ़ाव से बचा जा सके;
- ट) "अनुसूची" से अभिप्राय उन अनुसूचियों से है जो इन नियमों के साथ संलग्न हैं;
- ठ) "भंडारण" से अभिप्राय टार-बॉल्स के संग्रहण के बाद और अंतिम निपटान से पूर्व उनके भंडारण से है;
- ड) "टार-बॉल्स" से अभिप्राय तेल रिसाव से उत्पन्न अपक्षयित उत्पाद है, जो अपतटीय (लट से दूर) तेल अन्वेषण कार्यकलापों, तेल टैंकर/जहाज़/पोत दुर्घटनाओं, तेल-मूय विस्फोटों, पाइपलाइन रिसाव, जन, तेल और अन्य द्रव्यों के मिश्रण बाले

बिना के निष्कासन, जहाजों और टैंकरों से औद्योगिक अपशिष्ट तथा प्राकृतिक तेल रिसाव आदि के कारण उत्पन्न होता है, जो सामान्यतः विभिन्न भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से विकसित होता है:

- द) "परिवहन" से अभिप्राय टार-बॉल्स के स्थानांतरण से है, चाहे वे शोधित हों, आंशिक रूप से शोधित या अप्रयुक्त हों, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित तरीके से विशेष रूप से निर्मित और ढके हुए परिवहन प्रणाली द्वारा ले जाया जाता है ताकि दुर्घटना, अपशिष्ट फैलाव और अशुभ परिस्थितियों को रोका जा सके;
- घ) "शोधन" से अभिप्राय उस विधि, तकनीक या प्रक्रिया से है जिसे टार-बॉल्स की भौतिक, रासायनिक या जैविक विशेषताओं अथवा संरचना को संशोधित करने के लिए अनायास किया जाता है ताकि उनके आयतन को कम किया जा सके और हानि पहुँचाने की संभावना को कम किया जा सके;
- च) "टार-बॉल्स के शोधन, भंडारण और निपटान सुविधा" से अभिप्राय किसी भी ऐसी सुविधा से है जहाँ परिसंकेतमय अपशिष्ट सहित टार-बॉल्स का शोधन और निपटान अथवा ऐसे शोधन अथवा निपटान से संबंधित प्रक्रियाएँ संचालित की जाती हैं।

अध्याय I

टार-बॉल्स का प्रबंधन (निवारण उपाय)

4. (1) तेल प्रतिष्ठान के मालिक जिन पर वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 2025 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम लागू होते हैं, वह तेल रिसाव को रोकने हेतु उक्त अधिनियम और नियमों के अंतर्गत निर्धारित सभी निवारण उपायों को अपनाएगा तथा समय-समय पर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्धारित उपायों का पालन करेगा।
- (2) अपतटीय तेल अन्वेषण प्रतिष्ठान के मालिक जिन पर तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम लागू होते हैं, वह तेल रिसाव को रोकने हेतु उन नियमों में निर्धारित सभी निवारण उपायों तथा समय-समय पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा निर्धारित अन्य उपायों का पालन करेगा।
- (3) तेल प्रतिष्ठान का मालिक भारतीय नट्यक्षक (आईसीजी) द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना (एनओएसडीसीपी) के अनुसार तेल रिसाव की निवारण और प्रतिक्रिया संचालन की व्यवस्था का पालन करेगा।
- (4) उप-नियम (1), (2) और (3) के अंतर्गत शामिल न होने वाले तेल प्रतिष्ठान के मालिक को तेल रिसाव से बचाव हेतु समय-समय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी निवारण उपाय करने होंगे।

अध्याय II

टार-बॉल्स के प्रबंधन की प्रक्रिया

- (5) टार-बॉल्स के पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित प्रबंधन हेतु राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों का उत्तरदायित्व।
 - (1) राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय संकट प्रबंधन समूह सामान्य जनसाधारण द्वारा टार-बॉल्स को देखे जाने की सूचना हेतु एक केंद्रीकृत रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करेगा।
 - (2) राज्य सरकारें टार-बॉल्स के संग्रहण तथा तट किनारे की सफाई सुनिश्चित करेंगी।
 - (3) जिला प्रशासन जिले की तट किनारे पर जमा हुए टार-बॉल्स के संग्रहण, प्रबंधन और परिवहन के लिए उत्तरदायी होगा तथा वह सुनिश्चित करेगा कि जिला आपदा प्रबंधन योजना में टार-बॉल्स प्रबंधन भी सम्मिलित हो।

- (4) राज्य सरकारें तेल रिसाव और टार-बॉल्स बनने की घटनाओं का समय-बद्ध डेटा संकलित करेंगी तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ मिलकर गणितीय मॉडल विकसित करेंगी ताकि उन्नत पूर्वानुमान, तैयारी और बेहतर निर्णय निर्धारित किए जा सकें।
- (5) राज्य सरकारें जिला प्रशासन तथा अन्य संबंधित राज्य स्तरीय अथवा जिला स्तरीय एजेंसियों या दोनों नामतः जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, परिवहन विभाग, तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण, पर्यावरण एवं वन विभाग, बंदरगाह/हार्बर प्राधिकरण आदि की भागीदारी के माध्यम से टार-बॉल्स के संग्रहण, भंडारण, सफाई और निपटान जैसी प्रतिक्रिया कार्यकलाप करेंगी; और आवश्यकता होने पर स्थानीय नागरिक समाज समूहों को भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकता है।
- (6) राज्य सरकारें संबंधित जिला प्रशासन के माध्यम से टार-बॉल्स का संग्रहण, अस्थायी भंडारण और उनका शोधन, भंडारण एवं निपटान सुविधा तक पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित तरीके से परिवहन सुनिश्चित करेंगी।
- (7) राज्य सरकारें भारतीय तटरक्षक (आईसीजी), उपयुक्त राष्ट्रीय संस्थानों तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की भागीदारी से टार-बॉल्स के पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगी।
- (8) राज्य सरकारें तटीय क्षेत्र में टार बॉल के कारण होने वाले प्रदूषण को राज्य आपदा के रूप में घोषित करेंगी।
- (9) राज्य सरकारें आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करेंगी।

6. टार-बॉल्स के पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित प्रबंधन हेतु रक्षा मंत्रालय (भारतीय तटरक्षक) का उत्तरदायित्व

- (1) भारतीय तट रक्षक राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना (एनओएस-डीसीपी) को लागू करेगा ताकि तेल रिसाव प्रबंधन और टार-बॉल्स के निर्माण का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जा सके।
- (2) भारतीय तट रक्षक, भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में तेल रिसाव के लिए नियमित हवाई और सतही निगरानी करेगा तथा आवश्यक तैयारी और प्रतिक्रिया उपायों हेतु संबंधित हितधारकों को सूचित करेगा।
- (3) यह दूर से संचालित वाहन (रिमोटली ऑपरेटोर व्हीकल) (आरओबी), स्वचालित जलमग्न वाहन (एयूवी) आदि जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करेंगे ताकि रिसाव की घटनाओं के दौरान समुद्र के नीचे तेल का फैलाव का पता लगाया जा सके और उनका प्रबंधन किया जा सके।
- (4) यह अपतटीय तेल रिसाव की घटनाओं/मामलों पर तत्काल आपातकालीन चेतावनी भेजेगा, यदि कोई हो।
- (5) भारतीय तटरक्षक प्रादेशिक समुद्र से बाहर होने वाले तेल रिसाव अथवा रिसाव की घटनाओं की त्रैमासिक रिपोर्ट निकटवर्ती तटीय राज्य सरकारों सहित संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा प्रदूषण नियंत्रण समितियों तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदान करेगा।

7. टार-बॉल्स के पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित प्रबंधन हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समिति का उत्तरदायित्व

- (1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को इन नियमों के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों अथवा प्रदूषण नियंत्रण समितियों के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
- (2) संबंधित तटीय क्षेत्र में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों में टार-बॉल्स की घटनाओं का एक डेटाबेस बनाएगी, जिसमें टार-बॉल्स से प्रभावित क्षेत्र, संग्रहित एवं संसाधित किए गए टार-बॉल्स की मात्रा तथा निपटान के परिणामों का विवरण सम्मिलित होगा।

(3) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में टार-बॉल्स के अधिकृत निपटान/शोधन सुविधाओं की सूची प्रकाशित करेंगे।

(4) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टार-बॉल्स के प्रबंधन हेतु एक मॉडल मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करेगा, जिसमें उनका संग्रहण और तट किनारे की सफाई शामिल होगी। राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र सीपीसीबी द्वारा तैयार मॉडल मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अपनाएंगे अथवा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार जैसा भी मामला हो, संशोधित करेंगे।

(5) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों के क्रियान्वयन हेतु एक वर्ष की अवधि के भीतर एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित करेगा।

(6) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियम 21 के तहत पर्यावरण क्षतिपूर्ति के माध्यम से एकत्रित राशि के उपयोग/वितरण के लिए दिशानिर्देश विकसित करेगा।

(7) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपने स्वयं के वित्तपोषण या बजट प्रावधान तथा संबंधित राज्य सरकार के सहयोग से टारबॉल के प्रबंधन हेतु गतिविधियाँ संचालित करेंगे।

8. टार-बॉल्स के पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित प्रबंधन हेतु पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा नौबहन महानिदेशालय का उत्तरदायित्व

(1) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय अपने अधिकार क्षेत्र में निर्मित बंदरगाहों, बांध, घाटों तथा अन्य अवसंरचनाओं पर तथा बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा समुद्र तट/तट किनारे पर टार-बॉल्स की सफाई संबंधी कार्यक्रमों का समन्वय करेगा।

9. टार-बॉल्स के पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित प्रबंधन हेतु अपनी अपतटीय प्रतिष्ठानों के माध्यम से पेट्रोलेियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का उत्तरदायित्व

(1) पेट्रोलेियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अपनी अपतटीय प्रतिष्ठानों के माध्यम से प्रत्येक प्रतिष्ठान (500 मीटर तक) की तेल रिसाव अथवा इसके फैलाव की घटनाओं की वैमासिक रिपोर्ट भारतीय तटरक्षक, निकटवर्ती तटीय राज्य सरकारों, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदान करेगा।

(2) पेट्रोलेियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अपतटीय तेल अन्वेषण प्रतिष्ठानों/सुविधाओं से तेल रिसाव को नियंत्रित करने हेतु सभी निवारण कदम उठाएगा।

10. टार-बॉल्स के पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का उत्तरदायित्व

(1) राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी उपग्रह, हवाई निगरानी, ड्रोन, सेंसर-सुसज्जित बॉयस अथवा अन्य किसी भी माध्यम से तेल रिसाव की घटनाओं और टार-बॉल्स के हॉट-स्पॉट्स की निगरानी एवं पहचान करेगी तथा सहयोगी एजेंसियों को महायत्ता प्रदान करेगी।

11. टार-बॉल्स के अधिभोगी और संचालक का उत्तरदायित्व

(1) प्रत्येक अधिभोगी और संचालक का यह कर्तव्य होगा कि टार-बॉल्स का प्रबंधन इस प्रकार किया जाए कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

- (2) अधिभोगी और संचालक टार-बॉल्स के सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (3) संग्रहित टार-बॉल्स को पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित तरीके से निपटान हेतु किसी अधिकृत व्यक्ति को भेजा जाएगा।
- (4) वह अधिभोगी जो अपने टार-बॉल्स का शोधन और निपटान किसी शोधन, भंडारण और निपटान सुविधा के परिचालक द्वारा कराना चाहता है, वह उस सुविधा के संचालक को वह विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान करेगा जो सुरक्षित भंडारण और निपटान के लिए आवश्यक है।
- (5) ऑपरेटर वह सुनिश्चित करेगा कि टार-बॉल का निपटान पर्यावरणीय अनुकूल तरीके में किया जाए, जिसमें अपशिष्ट में ऊर्जा, सीमेंट संयंत्र में सह-भस्मीकरण या शोधन, भंडारण और निपटान सुविधा (टीएसडीएफ) में सामान्य भस्मीकरण शामिल हो सकता है।
- (6) अधिभोगी और संचालक टार-बॉल्स का प्रबंधन करते समय सभी आवश्यक कदम उठाएंगे जैसे -
- (क) प्रदूषकों को नियंत्रित करना और दुर्घटनाओं को रोकना तथा मानव और पर्यावरण पर उनके प्रभावों को सीमित करना; और
- (ख) टार-बॉल्स को संभालने वाले व्यक्तियों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रशिक्षण, उपकरण और आवश्यक जानकारी प्रदान करें।

अध्याय-III

टार-बॉल्स के शोधन, भंडारण और निपटान की सुविधा

- 12. टार-बॉल्स के शोधन, भंडारण और निपटान की सुविधा.**—(1) राज्य सरकार, अधिभोगी, किसी सुविधा का परिचालक या अधिभोगियों का कोई संघ व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से या अलग-अलग रूप से, राज्य में टार-बॉल के शोधन, भंडारण और निपटान के लिए सुविधा स्थापित करने हेतु स्वयं की पहचान करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- (2) सुविधा का संचालक या कैप्टिव सुविधा का अधिभोगी, समय-समय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस संबंध में जारी तकनीकी दिशा-निर्देशों के अनुसार उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा का डिजाइन और उसकी स्थापना करेगा तथा इस संबंध में सीपीसीबी द्वारा निर्दिष्ट डिजाइन और लेआउट के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करेगा।
- (3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सुविधा या कैप्टिव उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा के संचालन का निरीक्षण नियमित रूप से त्रैमासिक आधार पर करेगा।
- (4) सुविधा का परिचालक या अबाध सुविधा का अधिभोगी, समय-समय पर सीपीसीबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों या मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार, सुविधा के सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल संचालन और उसके बंद होने तथा बंद होने के बाद के चरण के लिए जिम्मेदार होगा।
- (5) सुविधा का परिचालक या अबाध सुविधा का अधिभोगी प्रपत्र 3 के अनुसार संभाले गए टार-बॉल का रिकॉर्ड रखेगा।
- (6) सुविधा का परिचालक या अबाध सुविधा का अधिभोगी, उस वित्तीय वर्ष के बाद, जिसके लिए वह रिटर्न संबंधित है, प्रत्येक अगले वर्ष 30 जून को या उससे पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रपत्र 4 में वार्षिक रिटर्न दाखिल करेगा।
- (7) सुविधा के अधिभोगी, परिचालक को समय-समय पर सीपीसीबी द्वारा जारी किए गए टार-बॉल के संग्रह, पैकेजिंग, लेबलिंग, परिवहन, भंडारण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया और सीमेंट संयंत्र में टार-बॉल के पूर्व-प्रसंस्करण और सह-प्रसंस्करण के लिए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
- (8) परिसंकटमय अपशिष्ट के लिए मौजूदा उपचार भंडारण और निपटान सुविधा, अपनी परिचालन स्थितियों के अनुसार, टारबॉल के निपटान के लिए भी उपयोग की जा सकती है।

अध्याय IV

टार-बॉल्स का संग्रह, पैकेजिंग, लेबलिंग और परिवहन

13. संग्रह: (1) जिला प्रशासन जिला तटरेखा के किनारे जमा किए गए टार बॉल्स के संग्रह, हैंडलिंग और परिवहन के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) जिला प्रशासन तट पर तार-बॉल के बारे में सूचना मिलने पर तटरेखा की सफाई करने के लिए एक स्थानीय प्रतिक्रिया दल बनाए रखेगा।

(3) सभी तैनात कर्मियों को उचित प्रशिक्षण और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) प्रदान किए जाएंगे, जिनमें दस्ताने, जूते, फेस मास्क और सुरक्षात्मक वस्त्र शामिल हैं।

(4) सफाई गतिविधि की देखरेख जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त एक फील्ड अधिकारी द्वारा की जाएगी और (क) संग्रहण की तिथि और समय; (ख) स्थान निर्देशांक; (ग) एकत्रित सामग्री का प्रकार और मात्रा; (घ) तैनात उपकरण और कर्मी, को प्रभावित करने के लिए एक लॉगबुक रखा जाएगा।

(5) भारतीय तटरक्षक ब्रल और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण टार-बॉल्स के संग्रह, प्रबंधन, परिवहन और सफाई कार्यक्रमों में जिला प्रशासन को मार्गदर्शन और विशेषज्ञ सलाह प्रदान करेंगे।

(6) जिला प्रशासन टार बॉल के संग्रह, हैंडलिंग और परिवहन के लिए संबंधित एस्पपीसीवी से प्राधिकरण प्राप्त करेगा।

(7) जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि टार बॉल्स के संग्रह के बाद उन्हें आगे की कार्रवाई जैसे भंडारण, परिवहन, उपचार, निपटान, सह-प्रसंस्करण के लिए अधिकृत व्यक्ति को सौंप दिया जाए।

(8) जिला प्रशासन सफाई गतिविधियों, प्रबंधित मात्राओं और चुनौतियों का विवरण देने हुए संबंधित एस्पपीसीवी/पीसीसी को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(9) एक सक्रिय उपाय के रूप में, जिला प्रशासन टार-बॉल जमाव का शीघ्र पता लगाने और समय पर रिपोर्टिंग करने के लिए, विशेष रूप से मानसून या चक्रवात के बाद की घटनाओं जैसे उच्च जोखिम वाले समय के दौरान नियमित तटरेखा निगरानी कर सकता है।

14. पैकेजिंग और लेबलिंग। (1) टार-बॉल संभालने वाला कोई भी अधिभोगी और जोखन, भंडारण और निपटान सुविधा के संचालक यह सुनिश्चित करेगा कि टार-बॉल को सुरक्षित संचालन, भंडारण और परिवहन के लिए उपयुक्त तरीके से पैक किया जाए। लेबलिंग प्रपत्र 5 के अनुसार की जाएगी।

(2) लेबल न धुलने वाला, मौसमरोधी और आसानी से दिखाई देने वाली सामग्री का होगा।

15. टार-बॉल्स का परिवहन। (1) टार-बॉल्स का परिवहन इन नियमों और केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगा।

(2) अधिभोगी, ट्रांसपोर्टर को फॉर्म 6 में टार-बॉल की परिमंजकृत प्रकृति और आपात स्थिति में उठाए जाने वाले उपायों के संबंध में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करेगा और फॉर्म 5 के अनुसार टार-बॉल कंटेनरों पर लेबल लगाएगा।

(3) टार-बॉल्स को अंतिम निपटान के लिए उस राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में स्थित सुविधा में ले जाने की स्थिति में, जहां इसे उत्पन्न किया गया है, प्रेषक को दोनों राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करना होगा।

- (4) सह-प्रसंस्करण सहित उपयोग के लिए टार-बॉल्स के परिवहन के मामले में, प्रेषक टार-बॉल्स को ट्रांसपोर्टर को सौंपने से पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और उपयोग/सह-प्रसंस्करण इकाई दोनों को सूचित करेगा।
- (5) सह-प्रसंस्करण या निपटान सहित उपयोग के लिए टार-बॉल्स के उत्पत्ति और गंतव्य राज्यों के अलावा किसी अन्य राज्य में होकर पारगमन के मामले में, प्रेषक टार-बॉल्स के परिवहन के लिए निर्दिष्ट मार्ग प्राप्त करेगा, जो आपातकालीन प्रतिक्रिया इकाइयों से सुसज्जित होंगे और परिवहनकर्ता को अपशिष्ट सौंपने से पहले पारगमन राज्यों के संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पूर्व सूचना देगा।
- (6) टार-बॉल्स के परिवहन के मामले में, सुरक्षित परिवहन की जिम्मेदारी प्रेषक या प्राप्तकर्ता की होगी, जो भी परिवहन की व्यवस्था करता है और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परिवहन के लिए आवश्यक प्राधिकरण प्राप्त करता है। वह जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से घोषणापत्र में दर्शायी जानी चाहिए।
- (7) परिवहन के लिए प्राधिकरण या तो प्रेषक द्वारा या प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त किया जाएगा जिसकी ओर से परिवहन की व्यवस्था की जा रही है।

16. केवल देश के भीतर उपयोग किए जाने वाले टार-बॉल्स के लिए घोषणापत्र प्रणाली (आवागमन दस्तावेज)। (1) टार-बॉल्स का प्रेषक नीचे दर्शाए गए रंग कोड से युक्त उपत्र 7 में घोषणापत्र की सात प्रतियां तैयार करेगा और सभी सात प्रतियों पर प्रेषक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे:

प्रति संख्या के साथ रंग कोड	उद्देश्य
(1)	(2)
प्रति 1 (सफेद)	सभी सात प्रतियों पर हस्ताक्षर करने के बाद इसे प्रेषक द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अर्पित किए जाने के लिए।
प्रति 2 (पीली)	हस्ताक्षर लेने के बाद इसे प्रेषक द्वारा रखा जाना है और बाकी पांच हस्ताक्षर की गई प्रतियां वाहक द्वारा ले जाने के लिए।
प्रति 3 (गुलाबी).	अपशिष्ट प्राप्त करने के बाद इसे रिसीवर वास्तविक उपयोगकर्ता या उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा संचालक द्वारा रखा जाना चाहिए चार प्रतियों पर रिसीवर द्वारा उचित रूप में हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
प्रति 4 (नारंगी)	अपशिष्ट स्वीकार करने के बाद इसे रिसीवर द्वारा परिवहनकर्ता को सौंप जाने के लिए।
प्रति 5 (हरा)	प्राप्तकर्ता द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजे जाने के लिए।
प्रति 6 (नीला)	प्राप्तकर्ता द्वारा प्रेषक को भेजे जाने के लिए।
प्रति 7 (ग्रे)	यदि प्रेषक किसी अन्य राज्य में स्थित है, तो प्राप्तकर्ता द्वारा इसे प्रेषक के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजे जाने के लिए।

(2) प्रेषक प्रति 1 (सफेद) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अर्पित करेगा, और यदि टार-बॉल्स को किसी पारगमन राज्य से होकर ले जाया जाना संभव हो, तो प्रेषक अपशिष्ट की आवाजाही के बारे में पारगमन राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सूचित करेगा।

- (3) कोई भी ट्रांसपोर्टर प्रेषक से परिवहन के लिए टार बॉल स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि उसके साथ घोषणापत्र की हस्ताक्षरित प्रतियां 3 से 7 मंलग्र न हों।
- (4) ट्रांसपोर्टर टार बॉल खेप के साथ प्राप्तकर्ता को तिथि सहित विधिवत हस्ताक्षरित घोषणापत्र की प्रतियां 3 से 7 प्रस्तुत करेगा।
- (5) टार बॉल स्वीकार करने के बाद प्राप्तकर्ता प्रति 4 (चारगी) ट्रांसपोर्टर को सौंप देगा और प्रति 5 (हरा) अपने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेज देगा तथा प्रति 6 (नीला) प्रेषक को भेज देगा तथा प्रति 3 (गुलाबी) प्राप्तकर्ता द्वारा अपने पास रखी जाएगी।
- (6) प्रति 7 (से) केवल प्रेषक के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजी जाएगी, यदि प्रेषक किसी अन्य राज्य में है।

अध्याय V

टार- बॉल्स के प्रबंधन के लिए प्राधिकार

- 17. टार बॉल्स के प्रबंधन के लिए प्राधिकार प्रदान करना.** - (1) टार बॉल्स के संचालन, संग्रह, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन, उपयोग, शोधन, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण, रिकवरी, पूर्व-प्रसंस्करण, सह-प्रसंस्करण, उपयोग, बिक्री के लिए पेशकश, स्थानांतरण या निपटान में संलग्न प्रत्येक अतिभोगी द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रपत्र 1 में आवेदन करना होगा और इन नियमों के प्रकाशन की तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्राधिकार प्राप्त करना होगा। परंतु प्राधिकार के नवीनीकरण के लिए आवेदन ऐसे प्राधिकरण की समाप्ति से तीन महीने पहले किया जाए।
- (2) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रदूषण नियंत्रण समिति, प्राधिकार हेतु सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर, आवश्यक समझी जाने वाली जाँच के बाद, और इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक के पास परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के संग्रहण, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन, शोधन, प्रसंस्करण, उपयोग, विडंबन, पुनर्चक्रण, पुनर्प्राप्ति, पूर्व-प्रसंस्करण, सह-प्रसंस्करण, उपयोग, बिक्री के लिए पेशकश, स्थानांतरण या निपटान के लिए उपयुक्त सुविधाएँ हैं, और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट मानक संचालन प्रक्रिया या अन्य दिशा-निर्देशों के अनुरूप तकनीकी क्षमताओं और उपकरणों को सुनिश्चित करने के बाद, तथा स्वयं निरीक्षण के माध्यम से, एक सौ बीस दिनों की अवधि के भीतर आवेदक को प्रपत्र 2 में प्राधिकार प्रदान कर सकती है, जो उसमें निर्धारित शर्तों के अधीन पाँच वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा। परंतु प्राधिकार के नवीनीकरण के आवेदन के मामले में, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऐसा प्राधिकरण प्रदान करने से पहले, यह सुनिश्चित कर ले कि उसके द्वारा पहले दिए गए प्राधिकार में निर्दिष्ट शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और इसे निरीक्षण रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा।
- (3) उप-नियम (2) के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकार के साथ उस बोर्ड द्वारा हस्ताक्षरित क्षेत्र निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति मंलग्र होगी, जिसमें परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के संग्रह, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन, शोधन, प्रसंस्करण, उपयोग, विडंबन, पुनर्चक्रण, रिकवरी, पूर्व-प्रसंस्करण, सह-प्रसंस्करण, उपयोग, बिक्री के लिए पेशकश, स्थानांतरण या निपटान के लिए सुविधाओं की पर्याप्तता और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट दिशानिर्देशों या मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुपालन को दर्शाया गया हो।
- (4) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद इन नियमों के तहत कोई भी प्राधिकार प्रदान करने से इनकार कर सकता है और इसके कारण लिखित में दर्ज किए जाएंगे।

(5) इन नियमों के तहत प्राधिकृत प्रत्येक अधिभोगी, प्रपत्र 3 में अपने द्वारा प्रबंधित टार बॉल्स का रिकॉर्ड रखेगा और को प्रपत्र 4 में निर्दिष्ट विवरण सहित वार्षिक विवारणिका वित्तीय वर्ष के बाद दिनांक 30 जून को या उससे पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रस्तुत करेगा।

(6) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक रजिस्टर का रखरखाव करेगा, जिसमें टार बॉल्स के प्रबंधन के लिए इन नियमों के तहत लगाई गई शर्तों का विवरण रखना शामिल होगा और कोई भी इच्छुक या प्रभावित व्यक्ति कार्यालय समय के दौरान इसका निरीक्षण कर सकेगा।

(7) टार बॉल्स का प्राधिकृत वास्तविक उपयोगकर्ता को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी पासबुक में प्राधिकृत पत्र सहित खरीदे गए टार बॉल्स का रिकॉर्ड रखना होगा।

(8) वास्तविक उपयोगकर्ता को टार बॉल्स की पासबुक में प्रविष्टि करने के बाद ही प्राधिकृत वास्तविक उपयोगकर्ता को टार बॉल्स सौंपा जाएगा।

(9) कोई भी व्यक्ति या संस्था वैध प्राधिकरण के बिना टार बॉल्स के संग्रह, परिवहन, भंडारण या निपटान में मंगल नहीं होगा।

18. प्राधिकार को निलंबित या रद्द करने की शक्ति (1) यदि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की राय में प्राधिकार धारक प्राधिकार की किसी भी शर्त या अधिनियम के किसी भी प्रावधान या इन नियमों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो उसे सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद और इसके कारणों को लिखित में दर्ज करने के बाद, नियम 17 के तहत जारी प्राधिकार को तत्कालिक हित में आवश्यक समझे जाने वाली अवधि के लिए रद्द या निलंबित कर सकता है।

(2) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर, उस व्यक्ति को टार बॉल्स के सुरक्षित भंडारण और प्रबंधन के लिए निदेश दे सकता है, जिसका प्राधिकार निलंबित या रद्द किया गया है, और ऐसे अधिभोगी को ऐसे निर्देशों का पालन करना होगा।

19. टार बॉल्स का उपयोग- (1) टार बॉल्स का संभाजन के रूप में या पूर्व-प्रसंस्करण के बाद सह-प्रसंस्करण या किसी अन्य उपयोग के लिए उपयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदान की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं या दिशानिर्देशों के आधार पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करने के बाद ही किया जाएगा।

(2) यदि विशिष्ट उपयोग के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं या दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं हैं, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अनुमोदन प्राप्त करना होगा, जो प्रायोगिक संचालन के आधार पर अनुमोदन प्रदान करेगा और उसके बाद, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मानक संचालन प्रक्रियाएं या दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे।

परंतु, यदि किसी विशेष उपयोग के संबंध में प्रायोगिक संचालन कार्यान्वित किया गया हो और पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन प्रदर्शित किया गया हो, तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इसके लिए प्राधिकार प्रदान किया जा सकता है, जिसके लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अलग से प्रायोगिक संचालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सफल परीक्षणों की सूचना देगा।

(3) सीमेंट संयंत्रों में टार बॉल्स के सह-प्रसंस्करण के लिए किसी भी प्रायोगिक संचालन की आवश्यकता नहीं होगी, जिनके लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिशानिर्देश पहले से ही उपलब्ध हैं। हालांकि, वास्तविक उपयोगकर्ताओं को अपशिष्ट के सह-प्रसंस्करण के संबंध में सीमेंट संयंत्रों के लिए पर्यावरण (संग्रहण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के तहत अधिसूचित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

20. पूर्व-प्रसंस्करण और/या सह-प्रसंस्करण के लिए प्राधिकार:

- (1) टार-बॉल के संग्रह या भंडारण या परिवहन या प्राप्ति या पुनः उपयोग या पुनर्प्राप्ति या पूर्व-प्रसंस्करण या सह-प्रसंस्करण या उपयोग या शोधन या निपटान के लिए प्राधिकार प्रदान करने /नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र 1 के अनुसार होगा।
- (2) एसपीसीबी प्रपत्र 2 के अनुसार टार-बॉल के सह-प्रसंस्करण के लिए सीमेंट संयंत्रों को प्राधिकार प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा, एसपीसीबी परिसंस्कृतमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 से सूचीबद्ध नहीं किए गए किसी भी अपशिष्ट के सह-प्रसंस्करण के लिए सीमेंट संयंत्रों को वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत सहमति भी प्रदान कर सकते हैं।
- (3) ऐसे सभी अपशिष्टों के सह-प्रसंस्करण के दौरान, सीमेंट संयंत्रों को अपशिष्टों के सह-प्रसंस्करण के लिए निर्धारित उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करना होगा, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 10.05.2016 के सा.का.नि. संख्या 497 (अ) के माध्यम से अधिसूचित किए गए हैं।
- (4) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिनांक 23.11.2016 की अधिसूचना संख्या का.अ.3518 (अ) के अनुसार सीमेंट भट्टों में सह-प्रसंस्करण के लिए टार-बॉल को उपयोग हेतु पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की आवश्यकता नहीं है।
- (5) सीमेंट संयंत्र केवल ऐसी अनुमति प्राप्त करने के बाद ही अपनी कैप्टिव प्री-प्रोसेसिंग संयंत्रों में टार-बॉल का सह-प्रसंस्करण या पूर्व-प्रसंस्करण कर सकते हैं।
- (6) प्रत्येक टीएसडीएफ या स्टीडअलोन प्री-प्रोसेसिंग संयंत्र या सीमेंट संयंत्र जो सह-प्रसंस्करण के लिए अपशिष्टों के पूर्व-प्रसंस्करण में संलग्न है, उसके पास सीपीसीबी के दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनतम आवश्यक बुनियादी ढांचा सुविधाएं और परिचालन नियंत्रण होना चाहिए।

अध्याय-6**पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति****21. पर्यावरण क्षतिपूर्ति-**

- 1) जहां कोई भी तेल संयंत्र मौलिक पर्यावरणीय अनुकूल तरीके से तेल का प्रबंधन करने में विफल रहता है और किसी भी तेल रिसाव का कारण बनता है, जिससे टार बॉल बनने सहित पर्यावरण या सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान, क्षति या चोट पहुंचती है, तो यह पर्यावरणीय मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो इस तरह के नुकसान, क्षति या चोट और टार-बॉल के प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन द्वारा वहन किए गए या वहन किए जाने वाले व्यय के बराबर हो सकता है।
- (2) पर्यावरणीय अनुकूल तरीके से टार बॉल का प्रबंधन या प्रहस्तन करने में विफल रहने पर अधिभोगी, ट्रांसपोर्टर, सह-प्रसंस्करणकर्ता और संचालक या शोधन केन्द्रों के अधिभोगी पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी लगाई जा सकती है।
- (3) सीपीसीबी टार बॉल के कारण होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए एक दिशानिर्देश तैयार करेगा, जिसमें इसके प्रहस्तन, तटों की सफाई और 'प्रदूषक को भुगतान' मिट्टात के आधार पर अतिरिक्त जुर्माना शामिल है।
- (4) इस मामले में सुनवाई के अवसर के बिना इस नियम के तहत कोई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति नहीं लगाई जाएगी।
- (5) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) इन नियमों के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगा सकती है।
- (6) इस नियम के तहत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में संग्रहित की गई धनराशि को एसपीसीबी या पीसीसी द्वारा एक अलग खाते में रखा जाएगा और इसका उपयोग केवल जिला प्रशासन द्वारा टार बॉल के एकत्रण, भंडारण, परिवहन, निपटान के लिए किए गए व्यय को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, इस प्रकार संग्रहित की गई धनराशि का उपयोग उन व्यय को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन को अनुसंधान और सहायता के लिए भी किया जा सकता है जहां टार बॉल का जेनरेटर ज्ञात नहीं है।

अध्याय VII**विविध****22. संचालन समिति की स्थापना:**

(1) केन्द्र सरकार एक संचालन समिति का गठन करेगी जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय (भारतीय तटरक्षक बल), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति का प्रतिनिधित्व, आवश्यकतानुसार किया जाएगा। संचालन समिति आवश्यकता अनुसार किसी ज्ञान भागीदार या विषय विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में सह-नामित कर सकती है।

(2) समिति तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों तथा अन्य हितधारकों को इन नियमों के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों के बारे में सलाह देगी।

23. रिकॉर्ड और विवरणियां.- (1) टारबॉल को संभालने वाला अधिभोगी और निपटान सुविधा का संचालक **प्रकरण 3** में ऐसे कार्यों का रिकॉर्ड रखेगा।

(2) टार बॉल का हवालान वाले अधिभोगी और निपटान सुविधा के संचालक को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को **फार्म 4** में वार्षिक रिटर्न भेजना होगा।

(3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टार-बॉल के निपटान के लिए संयंत्र के अधिभोगियों और संचालकों से प्रान वार्षिक विवरणों के आधार पर, बनाए गए, रिकवर किए गए, इस्तेमाल किए गए, मह-प्रसंस्कृत किए गए और निपटान किए गए टार-बॉल की वार्षिक इन्वेंट्री तैयार करेगा और हर वर्ष 30 नवंबर तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जमा करेगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वास्तविक अधिभोगी, साझा और कैप्टिव निपटान संयंत्रों की भी इन्वेंट्री तैयार करेगा और हर दो वर्ष में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जानकारी जमा करेगा।

(4) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टार-बॉल प्रबंधन पर समेकित समीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे हर साल 30 दिसंबर से पहले अपनी सिफारिशों के साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजेगा।

24. दुर्घटना की रिपोर्टिंग -

(1) यदि टार-बॉल हवालान करने वाले अधिभोगी और निपटान सुविधा के संचालक के संयंत्रों पर या परिवहन के दौरान कोई दुर्घटना घटित होती है, तो अधिभोगी या संचालक या ट्रांसपोर्टर तुरंत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को टेलीफोन, ई-मेल के माध्यम से दुर्घटना के बारे में सूचित करेगा और तत्पश्चात् **प्रपत्र 8** में रिपोर्ट भेजेगा।

25. इन नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई.- कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है या उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

26. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति : संचालन समिति इन विनियमों के सुचारु कार्यान्वयन में कठिनाई पैदा करने वाले मुद्दों की जांच करेगी और ऐसी किसी कठिनाई को दूर करने की शक्ति रखेगी तथा ऐसे किसी मुद्दे को, जैसा ठीक समझे, केन्द्रीय सरकार के विचार के लिए भेज सकती है।

27. स्थापन और संपरीक्षा.- (1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्वयं या एसपीसीबी/पीसीसी या पर्यावरण संपरीक्षा नियम, 2025 के तहत परिभाषित पंजीकृत पर्यावरण संपरीक्षक के माध्यम से जनरेटर, तेल संयंत्र के भालिक, शोधन, भंडारण और निपटान सुविधा के संचालक आदि का टार-बॉल के पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन और इन नियमों के अन्य प्रावधानों के बारे में निरीक्षण और समय-समय पर ऑडिट के माध्यम से, जैसा उचित लगे अनुपालन मूल्यांकन करेगा, और इन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करेगा।

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) द्वारा वार्षिक रूप से नमेकित निधि खाते तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति खाते की लेखापरीक्षा की जाएगी।

28. अपील.- (1) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पारित प्राधिकार के मिलन, रद्दीकरण वा इनकार या नवीकरण के आदेश से व्यथित कोई भी असंतुष्ट, आदेश की सूचना मिलने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, अपील प्राधिकार, अर्थात् राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पर्यावरण सचिव को **प्रपत्र 9** में अपील कर सकता है।

(2) अपील प्राधिकरण तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रस्तुत अपील पर विचार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारण से समय पर अपील दायर नहीं कर सका।

(3) इस नियम के अन्तर्गत दायर प्रत्येक अपील का निपटान उसके दायर होने की तिथि से साठ दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा।

प्रपत्र 1

[नियम 17(1), 20(1) देखें]

टार-बॉल्स के संग्रहण या भंडारण या परिवहन या प्राप्ति वा पुनःउपयोग वा रिकवरी वा पूर्व-प्रसंस्करण वा सह-प्रसंस्करण वा उपयोग वा शोधन या निपटान के लिए प्राधिकार प्राप्त करने/नवीकरण करने के लिए अपेक्षित आवेदन

भाग 'क': सामान्य (सभी द्वारा भरा जाना है)

1. (क) टर्काई का नाम और पता तथा संयंत्र का स्थान:

(ख) संयंत्र के अधिभोगी या निपटान संयंत्र के संचालक का नाम, पदनाम, दूरभाष, फैक्स तथा ई-मेल सहित :

(ग) निम्नलिखित में से किसके लिए अनुमति जरूरी है (कृपया सही कार्यकलाप या कार्यकलापों पर सही का निशान लगाएं):

(i) संग्रहण	
(ii) भंडारण	
(iii) परिवहन	
(iv) प्राप्ति	
(v) पूर्व-प्रसंस्करण	
(vi) सह-प्रसंस्करण	
(vii) उपयोग	
(viii) शोधन	
(ix) निपटान	
(x) भस्मीकरण	

2. (क) प्रत्येक वर्ष ह्यालन किए गए टार-बॉल्स की प्रकृति और मात्रा (मीट्रिक टन या किलो लीटर में)

(ख) किसी भी समय संग्रहीत किए गए टार-बॉल्स का प्रकृति और मात्रा (मीट्रिक टन या किलो लीटर में)

3. आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना (ईआरपी) की प्रति उपलब्ध करवाएँ, जिसमें आपातकालीन स्थिति (जैसे आग या रिसाव या बम) से निपटने के तरीके बताए गए हों। ऐसे ईआरपी में निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन केवल यहीं तक सीमित नहीं:

- घटनाओं को रोकना और नियंत्रित करना ताकि प्रभावों को कम किया जा सके और व्यक्तियों, पर्यावरण और संपत्ति के लिए खतरे को सीमित किया जा सके;
- व्यक्तियों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों को क्रियान्वित करना;
- घटनाओं की स्थिति को नियंत्रित करने और उनके परिणामों को कम करने के लिए जो कार्रवाई की जानी चाहिए, उसका ब्यौरा, जिसमें मौजूद सुरक्षा साधन और संसाधनों का ब्यौरा भी शामिल है;
- कर्मचारियों को उन कर्तव्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना जिनकी उनसे अपेक्षा की जाती है;
- संबंधित अधिकारियों और आपातकालीन सेवाओं को सूचित करने की व्यवस्था; और
- ऑफ-साइट राहत कार्रवाई में सहायता की व्यवस्था करना।

4. टार-बॉल को संभालने समय रिसाव, आग लगने या रिसाव की स्थिति में बैंक गारंटी जमा करने की सीमा सहित सभी प्रावधानों का पालन करने के लिए वचन या घोषणा प्रदान करें।

भाग ख: शोधन, भंडारण और निपटान संयंत्र संचालक, पूर्व-प्रसंस्करणकर्ता या सह-प्रसंस्करणकर्ता के बलावा टार-बॉल के अधिभोगी द्वारा भरा जाना है।

1. संग्रहण, भंडारण या प्राप्ति के लिए ये जानकारी उपलब्ध करवाएँ:

- लेआउट मैप के साथ भंडारण-स्थल की अवस्थिति;
- भंडारण क्षमता;
- टीएसडीएफ तक परिवहन की अवस्थिति;
- अग्निशमन प्रणालियाँ;
- टार-बॉल के सुरक्षित निपटान के लिए दिए गए पर्यावरणीय सुरक्षा-निर्देशों और पर्यावरणीय सुविधाओं की जानकारी।

पार्ट ग: शोधन, भंडारण और निपटान संयंत्र संचालक द्वारा भरा जाना है।

1. संयंत्र की जानकारी उपलब्ध कराएँ, जिसमें निम्नलिखित शामिल है:

- लेआउट मैप के साथ साइट की अवस्थिति;
- टार-बॉल का सुरक्षित भंडारण और भंडारण क्षमता;
- शोधन संयंत्र और उनकी क्षमताएं;
- सुरक्षित नैडफिन;
- भस्मीकरण, यदि कोई हो;
- लीनेट संग्रहण और उपचार प्रणाली;
- अग्निशमन प्रणालियाँ;
- पर्यावरणीय प्रबंधन योजना जिसमें निगरानी शामिल है; और
- उद्गम स्थान से टार-बॉल के परिवहन की व्यवस्था

पार्ट थ: टार-बॉल्स के पूर्व-प्रसंस्करणकर्ता या सह-प्रसंस्करणकर्ता द्वारा भरा जाना है

1. घरेलू ब्रोतों से हर साल मिलने वाले अलग-अलग टार-बॉल की प्रकृति और मात्रा;
2. जिला उद्योग केंद्र या किसी दूसरी प्राधिकृत सरकारी एजेंसी से जारी पंजीकरण के अनुसार स्थापित क्षमता। प्रति उपलब्ध करवाएँ;
3. टार-बॉल के सुरक्षित भंडारण की जानकारी दें, जिसमें भंडारण क्षमता भी शामिल हो;
4. उपकरणों का विवरण, आउटपुट (उत्सर्जन, अपशिष्ट जल आदि) बताने वाली प्रोसेस प्लो शीट। अलग शीट संलग्न करें;
5. प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली जैसे अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र, स्कंदर, आदि की जानकारी दें, जिसमें कचरे के निपटान का तरीका भी शामिल हो;
6. कार्य से जुड़े स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी उपायों की जानकारी दें;
7. क्या यह संयंत्र केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार स्थापित किया गया है? यदि हाँ, तो दिशानिर्देशों के पालन पर एक रिपोर्ट दें;
8. संयंत्र तक टार-बॉल्स के परिवहन की व्यवस्था:

आवेदक के हस्ताक्षर
पदनाम

तारीख.....
जगह.....।

प्रपत्र 2

[नियम 17(2), 20 (2) देखें]

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निपटान संयंत्रों के अधिभोगियों, पुनः प्रसंस्करणकर्ताओं, सह-प्रसंस्करणकर्ताओं और संचालकों को प्राधिकार प्रदान करने या नवीनीकरण करने संबंधी प्रपत्र

1. प्राधिकार संख्या और जारी करने की तारीख;
2. आवेदन का संदर्भ (संख्या और विनांक);
3.कोस्थित परिसर में टार-बॉल्स के संग्रहण, प्राप्ति, भंडारण, परिवहन, पूर्व-प्रसंस्करण, सह-प्रसंस्करण, शोधन, निपटान हेतु संलग्न हस्ताक्षरित निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकार प्रदान किया जाता है।

प्राधिकार का विवरण

निपटान का प्राधिकृत तरीका या सह-प्रसंस्करण आदि	मात्रा (टन/वर्ष)

- (1) यह प्राधिकार की अवधि के लिए वैध होगा।
- (2) प्राधिकार निम्नलिखित सामान्य तथा विशिष्ट शर्तों के अधीन है (कृपया ऐसी कोई शर्तें निर्दिष्ट करें जिन्हें सामान्य शर्तों के अतिरिक्त लागू करने की आवश्यकता हो, यदि कोई हो):

तारीख:

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम और मुहर

प्रपत्र 3

[नियम 12(5), 17(5), 23(1) देखें]

1. संयंत्र का नाम और पता :
2. प्राधिकार जारी करने की तारीख और उसका संदर्भ नंबर;
3. हथालत किए गए (इकट्टे या मिले हुए) टार-बॉल्स का विवरण;

तारीख	कुल मात्रा (मीट्रिक टन में)	भंडारण की विधि	कहाँ से प्राप्त अथवा कहाँ के लिए

4 टारबॉल के प्रबंधन का तिथि-वार विवरण और . पूर्व-प्रसंस्करणकर्ता के मामले में जिसे भेजा जाना है:

5. पर्यावरण निगरानी की तारीख:

अधिभोगी के हस्ताक्षर

तारीख.....

स्थान.....

प्रपत्र 4

[नियम 12(6), 17(5), 23 (2) देखें]

वार्षिक विवरणी दाखिल करने के लिए प्रपत्र

[अप्रैल से मार्च तक की अवधि के लिए हर साल 30 जून तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जमा किए जाने के लिए]

1. संयंत्र का नाम और पता;
2. प्राधिकार संख्या और जारी करने की तारीख;
3. प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पूरा पता, टेलीफोन, फ़ैक्स नंबर और ई-मेल के साथ;
4. वर्ष के दौरान जेनरेट किया गया, जहाँ भी लागू हो

पार्ट क. टार-बॉल्स के अधिभोगियों द्वारा भरा जाने के लिए

1. एकत्रित किए गए टार-बॉल की कुल मात्रा
2. भेजी गई मात्रा
 - (i) निपटान संयंत्र के लिए
 - (ii) सह-प्रसंस्करणकर्ता या पूर्व-प्रसंस्करणकर्ता को
 - (iii) अन्य
3. इन-हाउस इस्तेमाल की गई मात्रा, यदि कोई हो -
4. वर्ष के अंत में भण्डारण में मात्रा -

पार्ट ख. शोधन, भंडारण और निपटान संयंत्रों द्वारा भरा जाने के लिए

1. प्राप्त टार-बॉल की कुल मात्रा -
2. वर्ष की शुरुआत में स्टॉक में मौजूद मात्रा -
3. शोधित मात्रा -

4. लैडफिल में उसी रूप में और शोधन के बाद निपटाई गई मात्रा -
5. भस्म की गई मात्रा (यदि लागू हो) -
6. ऊपर विनिर्दिष्ट मात्रा के अलावा प्रसंस्कृत मात्रा-
7. वर्ष के अंत में संग्रहीत मात्रा-

पार्ट ग. पुनर्चक्रणकर्ता या सह-प्रसंस्करणकर्ता या दूसरे उपयोगकर्ता द्वारा भरा जाने के लिए

1. वर्ष के दौरान प्राप्त टारबॉल की मात्रा -
2. वर्ष की शुरुआत में स्टॉक में मौजूद मात्रा -
3. सह-प्रसंस्कृत मात्रा-
4. निपटान की गई मात्रा -
5. वर्ष के अंत में भण्डारण में मात्रा -

अधिभोगी के हस्ताक्षर या
निपटान सुविधा के संचालक

तारीख.....

स्थान.....

प्रपत्र 5

[नियम 14(1), 15(2) देखें]

टार-बॉल्स के कंटेनरों की लेबलिंग

सावधानी से संभालें

टार-बॉल्स और विशेषताएँ	असंगत अपशिष्ट और पदार्थ.....
कुल मात्रा	भंडारण की तारीख
टार बॉल की भौतिक अवस्था(टोस/अर्द्ध-टोस/तरल):	
प्रेषक का नाम और पता	प्राप्तकर्ता का नाम और पता
फ़ोन.....	फ़ोन.....
ईमेल.....	ईमेल.....
टेलीफोन और फैक्स नंबर.....	टेलीफोन और फैक्स नंबर.....
संपर्क व्यक्ति.....	संपर्क व्यक्ति.....
आपातकाल में कृपया संपर्क करें.....	

टिप्पणी:

1. लेबल का बैकग्राउंड रंग - फ्लोरोसेंट पीला।
2. 'टार-बॉल्स' और 'सावधानी से संभालें' शब्द स्पष्ट रूप से लाल रंग से हिंदी, अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा में लिखे जाएंगे।

प्रपत्र 6

[नियम 15 (2) देखें]

परिवहन आपातकाल (ट्रिम) कार्ड

[टार-बॉल भेजने वाले प्रदत्त, टार-बॉल के परिवहन के दौरान ट्रांसपोर्टर द्वारा भरे जाने के लिए]

1. टार-बॉल की विशेषताएं:

कं.सं.	प्रकार	भौतिक गुण	रासायनिक घटक	खतरे	प्राथमिक चिकित्सा आवश्यकताएं

2. आग लगने की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :
3. रिखाव/दुर्घटना/विस्फोट के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:
4. एक्सपर्ट सर्विस के लिए, कृपया संपर्क करें:

(i) नाम और पता:

(ii) टेलीफोन नंबर:

(भेजने वाले का नाम, संपर्क नंबर और हस्ताक्षर)

तारीख.....

स्थान.....

प्रपत्र 7

[नियम 16 (1) देखें]

टार-बॉक्स के लिए घोषणापत्र

1.	प्रेषक का नाम और डाक पता (फ़ोन नंबर और ईमेल सहित)	
2.	भेजने वाले की प्राधिकार संख्या.	
3.	मैनिफेस्ट दस्तावेज संख्या.	
4.	ट्रांसपोर्टर का नाम और पता: (फ़ोन नंबर और ईमेल सहित)	
5.	वाहन का प्रकार	(ट्रक/ट्रैक्टर/विशेष वाहन)
6.	ट्रांसपोर्टर की पंजीकरण संख्या	
7.	वाहन पंजीकरण संख्या	
8.	प्राप्तकर्ता का नाम और डाक पता (फ़ोन नंबर और ईमेल सहित)	
9.	प्राप्तकर्ता की प्राधिकार संख्या	
10.	अपशिष्ट विवरण	
11.	कुल मात्रा : कंटेनरों की संख्याएम3 या एमटीसंख्या
12.	भौतिक रूप	(ठोस/अर्ध ठोस/पंख/वैलीय/टैरी/स्लरी/तरल)
13.	हवालान के विशेष निर्देश और अतिरिक्त जानकारी	
14.	प्रेषक का प्रमाणपत्र	मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि प्रेषित माल का सामान ऊपर सही शिपिंग नाम से पूरी तरह और सही-सही बताया गया है और उसे खेपीबद्ध किया गया है, पैक किया गया है, मार्क किया गया है, और लेबल किया गया है, और यह राष्ट्रीय सरकार के लागू नियमों के अनुसार सड़क से परिवहन के लिए हर तरह से सही स्थिति में है।
	नाम और मोहर: हस्ताक्षर: महीना दिन वर्ष	
15.	ट्रांसपोर्टर द्वारा अपशिष्ट मिलने की पुष्टि	
	नाम और मोहर: हस्ताक्षर: महीना दिन वर्ष	
16.	खतरनाक और अन्य अपशिष्ट की प्राप्ति के लिए प्राप्तकर्ता का प्रमाण	
	नाम और मोहर: हस्ताक्षर: महीना दिन वर्ष	

प्रपत्र 8
[नियम 24(1) देखें]
दुर्घटना की रिपोर्टिंग का प्रारूप

[संतरा-केंद्र या पेशक या प्राप्तकर्ता या ट्रांसपोर्टर द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जमा किया जाना है]

1. दुर्घटना की तारीख और समय :
2. दुर्घटना की ओर ले जाने वाली घटनाओं का क्रम :
3. दुर्घटना में शामिल टार-बॉल का विवरण:
4. दुर्घटना के स्वास्थ्य या पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करने की विधि :
5. उठाए गए आपातकालीन कदम:
6. दुर्घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए उठाए गए कदम:
7. ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाए गए कदम :

तारीख

हस्ताक्षर:

स्वान

पदनाम :

प्रपत्र 9
[नियम 28 (1) देखें]

अपील दाखल करने के लिए आवेदन
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध

1. अपील करने वाले व्यक्ति का नाम और पता :
2. प्राधिकरण का आदेश संख्या, दिनांक तथा पता,
जिसने आदेश जारी किया है और जिसके खिलाफ अपील की जा रही है: (आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
3. किस आधार पर अपील की जा रही है:
4. किसलिए राहत मांगी गई:
5. बताएं गए आदेश के अलावा अन्य संलग्नकों की सूची
बिंदु 2 जिसके विरुद्ध अपील दाखल की जा रही है:

हस्ताक्षर.....।

नाम और पता.....

तारीख:

[फा. सं. एनएसएम-11/22/2022- एनएसएम]

नीलेश कुमार साहू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**DRAFT NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd April, 2026

G.S.R. 252(E).—In exercise of the powers conferred by sections 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following draft rules, as required under sub-rule (3) of the rule 5 of the Environment (Protection) rules 1986, for the information of the public and other stakeholders likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public.

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi – 110 003, or send it to the email address: sahnk@cag.gov.in and amit.vashishtha@nic.in.

1. Short title and commencement.

- (i) These rules may be called the Tar-balls Management Rules, 2026.
- (ii) They shall come into force after one year from the date of publication of final notification in the Official Gazette.

2. Application:

- (i) These rules apply to all persons who generate, collect, receive, store, transport, treat, dispose or handle Tar-balls in any manner, including oil extraction and exploration facilities, ships, oil tanker, oil facility owner, or authorized person in this behalf.

3. Definition.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

- a) "Act" means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);
- b) "Authorisation" means permission granted by the prescribed authority for the collection, reception, storage, transportation, treatment, disposal and/or any other form of handling of Tar-balls in accordance with these rules and any guidelines issued by the Central Government;
- c) "Authorized person" means an occupier or operator authorized by the prescribed authority to collect, receive, store, transport, treat, dispose and/or handle Tar-balls in accordance with these rules and any guidelines issued by the Central Government;
- d) "Co-processing" means use of tar-balls having calorific value exceeding 1500 kcal as raw material or as a source of energy or both to replace or supplement the natural mineral resources or fossil fuels in industrial processes, mainly in energy intensive industries like cement production;
- e) "Generator" means any institution causing spillage of oil or spillage of Tar-balls intentionally or unintentionally, which includes an oil tanker, oil company, ships or oil facility owner or any transporter;
- f) "Incineration" means an engineered process involving burning or combustion of waste to thermally degrade waste materials at high temperatures;

- g) "Oil facility owner" means a person or company who owns or controls or operates a facility/ship/vessel where oil (crude or fuel or both) is extracted, explored, used, transport or handle as the case may be;
- h) "Occupier" in relation to tar balls, means a person, agency or institution who has, physical and/or administrative control over tar balls as the case may be, after its generation and before its final disposal;
- i) "Operator of Treatment, Storage and Disposal Facility for Tar-balls" means a person who owns or controls or operates a facility for the collection, reception, storage, transport, treatment, disposal or handling of Hazardous waste including tar-balls;
- j) "Pre-processing" is defined as pre-treatment of waste streams to make it suitable homogenized for feeding into the kiln system to avoid process fluctuations;
- k) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;
- l) "Storage" means storing of tar balls after collection and before its final disposal;
- m) "Tar-balls" means a weathered product of oil spills due to offshore oil exploration activities, oil tanker/ship/vessel accidents, oil-well blowouts, pipeline leakages, release of bilge containing mixture of water oil and other contaminants, industrial effluent from ships and tankers as well as from natural oil seepage etc., which usually develops through various physical, chemical, and biological processes;
- n) "transportation" means conveyance of tar-ball, either treated, partly treated or untreated from a location to another location in an environmentally sound manner through specially designed and covered transport system so as to prevent the foul odour, littering and unsightly conditions;
- o) "treatment" means the method, technique or process designed to modify physical, chemical or biological characteristics or composition of tar balls so as to reduce its volume and potential to cause harm;
- p) "Treatment, Storage and Disposal Facility for Tar-balls": means any facility wherein treatment & disposal of hazardous waste including tar-balls or processes incidental to such treatment or disposal is carried out.

CHAPTER I

MANAGEMENT OF TAR-BALLS (PREVENTIVE MEASURE)

4. (1) The owner of an oil facility to whom the Merchant Shipping Act, 2025 and the rules made thereunder apply shall take all preventive measures as prescribed under the said Act and rules made thereunder and as prescribed by Ministry of Port, Shipping and Waterways from time to time to prevent oil spills.

(2) The owner of an oil facility for offshore oil exploration to whom the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 and the rules made thereunder apply shall take all preventive measures as

prescribed under the said rules and other measures as prescribed by Ministry of Petroleum and Natural Gas from time to time to prevent oil spills.

(3) The owner of an oil facility shall follow the mechanism for prevention of oil spills and response operation as per National Oil Spill Disaster Contingency Plan (NOSDCP) promulgated by Indian Coast Guard (ICG).

(4) The owner of an oil facility not covered under sub rule (1), (2) and (3) above shall take all preventive measure to avoid oil spill as prescribed by the Central Pollution Control Board from time to time.

CHAPTER II

PROCEDURE FOR MANAGEMENT OF TAR-BALLS

5. Responsibilities of State Governments and District Administration for environmentally sound management of Tar-balls. –

(1) State Level Crisis Management Groups under the NOSDCP shall establish centralised reporting system for reporting of tar-balls sighting by the general public.

(2) The State Governments shall ensure the collection of tar-balls and the cleaning of the shoreline.

(3) The District Administration shall be responsible for the collection, handling, and transportation of tar balls deposited along the district shoreline and ensure that the District Disaster Management Plan may also include tar-ball management.

(4) The State Governments shall undertake the compilation of time-series data of oil spills and tar-balls formation events and tie up with R&D institutes to develop mathematical models to make advanced predictions, preparations, and to have a better decision-making.

(5) The State Governments shall undertake response activities including collection, storage, cleaning, and disposal of Tar balls, through involvement of District Administration and other relevant state level or district level or both, agencies viz. District Disaster Management Authority, Transport Department, Coastal Zone Management Authority, Environment and Forest Department, Port/Harbour Authorities, and if required, Local Civil Society Groups may be engaged in the process.

(6) The State Governments shall ensure the collection, temporary storage and transportation of tar ball to the Treatment, Storage and Disposal Facility (TSDF) in an environmentally sound manner through concerned district administration.

(7) The State Government shall conduct a training program with the involvement of the Indian Coast Guard (ICG), suitable National Institutes and the State Disaster Response Force (SDRF) for the environmentally sound management of tar balls.

(8) The State Governments shall declare the pollution due to Tar Ball in the coastal area as State disaster.

(9) The State Governments shall take action under the Disaster Management Act.

6. Responsibilities of Ministry of Defence (Indian Coast Guard) for environmentally sound management of Tar-balls. –

- (1) The Indian Coast Guard shall implement National Oil Spill Disaster Contingency Plan (NOS-DCP) to effectively manage oil spill management and tar-balls formation.
- (2) The Indian Coast Guard shall undertake regular aerial and surface surveillance for oil spill in Indian EEZ and inform relevant stakeholders for necessary preparedness and response measures.
- (3) It may utilise advanced technologies, such as remotely operated vehicles (ROV), automated underwater vehicles (AUV) etc. for the detection and management of underwater oil plumes during spill events.
- (4) It will send immediate emergency alerts on offshore oil spill events/cases, if any.
- (5) Indian Coast Guard shall provide quarterly oil leakage or spill incident reports beyond territorial water to nearby Coastal State Governments, including the concerned State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees and Central Pollution Control Board.

7. Responsibilities of Central Pollution Control Board, State Pollution Control Board and Pollution Control Committee for environmentally sound management of Tar-balls:

- (1) The Central Pollution Control Board (CPCB) shall render technical assistance to State Government and Union Territories through the State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees with regard to implementation of these rules.
- (2) The State Pollution Control Board/Pollution Control Committee in the concerned coastal region shall maintain a database on tar-ball incidents in the State/Union Territory, including data on, the area affected by tar balls, quantity of tar balls collected & processed and disposal outcomes as per format prescribed by the Central Pollution Control Board.
- (3) The Central Pollution Control Board and the concerned State Pollution Control Board/Pollution Control Committee shall publish the list of authorized disposal/treatment facilities for tar balls in the State/Union Territory.
- (4) The Central Pollution Control Board shall prepare a model Standard Operating Procedures (SOPs) for management of tar-balls including its collection and cleaning of shoreline. The State Government and Union Territory may adopt the model Standard Operating Procedures (SOPs) prepared by CPCB or may modify the same as per its local requirement, as the case may be.
- (5) The Central Pollution Control Board shall develop an online system within a period of one year, for the implementation of these rules.
- (6) The Central Pollution Control Board shall develop guidelines for the utilization/disbursement of the amount collected through environment compensation under Rule 21.
- (7) The State Pollution Control Boards shall undertake activities for the management of Tarball through its own funding or budget line and support from the concerned State Government.

8. Responsibilities of Ministry of Ports, Shipping and Waterways and Directorate General of Shipping for environmentally sound management of Tar-balls. –

- (1) The Ministry of Ports, Shipping and Waterways shall coordinate tar ball clean-up activities at ports, jetties, wharves, and other structures constructed within their jurisdiction, and at beach/ shoreline owned by the port authority.

9. Responsibilities of Ministry of Petroleum and Natural Gas through its offshore installations for environmentally sound management of Tar-balls. –

(1) Ministry of Petroleum and Natural Gas through its offshore installations shall provide quarterly oil leakage or spill incident reports of every installation (up to 500 meters) to Indian Coast Guard, nearby Coastal State Governments, including the concerned State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees and Central Pollution Control Board.

(2) Ministry of Petroleum and Natural Gas shall take all preventive steps to control oil spill from offshore oil exploration installations/facilities.

10. Responsibilities of National Remote Sensing Agency for environmentally sound management of Tar-balls. –

(1) National Remote Sensing Agency shall conduct Surveillance and Detection of oil-spills incidences and tar-balls hot-spots through satellite, aerial, drones, sensor-equipped buoys, or by any other means and shall support the combat agencies.

11. Responsibilities of the occupier and operator of Tar-balls. –

(1) It shall be the duty of every occupier and operator handling tar ball to take all the steps to ensure that tar-balls is handled without any adverse effect on human health and the environment.

(2) The occupier and operator shall be responsible for safe and environmentally sound management of Tar-balls.

(3) The Tar-balls collected shall be sent to an authorized person for disposal in an environmentally sound manner.

(4) The occupier who intends to get its tar-ball treated and disposed of by the operator of a treatment, storage and disposal facility shall give to the operator of that facility, such specific information as may be needed for safe storage and disposal.

(5) The operator shall ensure disposal of tar-balls in an environmentally sound manner, which may include through waste to energy, co-incineration in a cement plant or common incineration in the Treatment, Storage, and Disposal Facility (TSDF).

(6) The occupier and operator shall take all the steps while managing Tar-balls to-

(a) Contain contaminants and prevent accidents and limit their consequences on human beings and the environment; and

(b) Provide persons handling the tar ball with appropriate training, equipment and the information necessary to ensure their safety.

CHAPTER - III**TREATMENT, STORAGE AND DISPOSAL FACILITY FOR TAR-BALLS**

12. Treatment, Storage and Disposal Facility for Tar-balls. - (1) The State Government, occupier, operator of a facility or any association of occupiers shall individually or jointly or severally be responsible for identification of sites for establishing the facility for treatment, storage and disposal of the Tar-balls in the State.

(2) The operator of facility or occupier of a captive facility, shall design and set up the treatment, storage and disposal facility as per technical guidelines issued by the Central Pollution Control Board in this regard from time to time and shall obtain approval from the State Pollution Control Board for design and layout as specified by CPCB in this regard.

(3) The State Pollution Control Board shall inspect the operation of the facility or captive treatment, storage and disposal facility, regularly on quarterly basis.

(4) The operator of facility or occupier of a captive facility shall be responsible for safe and environmentally sound operation of the facility and its closure and post closure phase, as per guidelines or standard operating procedures issued by CPCB from time to time.

(5) The operator of facility or occupier of a captive facility shall maintain records of Tar-balls handled as per Form 3.

(6) The operator of facility or occupier of a captive facility shall file an annual return in Form 4 to the State Pollution Control Board on or before the 30th day of June, every year, following the financial year to which that return relates.

(7) The occupier, operator of a facility shall follow the Standard Operating Procedure for collection, packaging, labelling, transportation, storage of tar-ball and guidelines for pre-processing and co-processing of tar-ball in Cement Plant issued by CPCB from time to time.

(8) The existing Treatment Storage and Disposal Facility, subject to its operating conditions, for Hazardous Waste may also be utilised for the disposal of Tarballs.

CHAPTER - IV**COLLECTION, PACKAGING, LABELLING AND TRANSPORT OF TAR-BALLS**

13. Collection: (1) The District Administration shall be responsible for collection, handling, and transportation of tar balls deposited along the district shoreline.

(2) The District Administration shall maintain a local response team to undertake shoreline clean-up when intimated about the tar-balls on shore.

(3) All deployed personnel shall be provided with appropriate training and Personal Protective Equipment (PPE), including gloves, boots, face masks, and protective clothing.

(4) The clean-up activity shall be overseen by a field officer engaged by District Administration and a logbook shall be maintained for documenting (a) Date and time of collection; (b) Location coordinates; (c) Type and volume of material collected; (d) Equipment and personnel deployed.

(5) The Indian Coast Guard and District Disaster Management Authority shall provide guidance and expert advice to District Administration in collection, handling, transportation, and clean-up activities.

(6) The District Administration shall obtain the authorisation from the concerned SPCB for collection, handling, and transportation of tar balls.

(7) The District Administration shall ensure that after collection of tar balls the same may be handed over to authorized person for further action viz. storage, transportation, treatment, disposal, co-processing.

(8) The District Administration shall submit the quarterly reports to the concerned SPCB/PCC outlining clean-up activities, quantities managed, and challenges faced.

(9) As a proactive measure, District Administration may conduct regular shoreline monitoring to enable early detection and timely reporting of tar-ball deposition, especially during high-risk periods like monsoon or post-cyclonic events.

14. Packaging and Labelling - (1) Any occupier handling Tar-balls and operator of the treatment, storage and disposal facility shall ensure that the Tar-balls are packaged in a manner suitable for safe handling, storage and transport. The labelling shall be done as per Form 5.

(2) The label shall be of non-washable material, weather proof and easily visible.

15. Transportation of Tar-balls. - (1) The transport of the tar-balls shall be in accordance with the provisions of these rules and the rules made by the Central Government under the Motor Vehicles Act, 1988.

(2) The occupier shall provide the transporter with the relevant information in Form 6, regarding the hazardous nature of the tar-balls and measures to be taken in case of an emergency and shall label the tar-balls containers as per Form 5.

(3) In case of transportation of Tar-balls for final disposal to a facility existing in a State other than the State where it is generated, the sender shall obtain 'No Objection Certificate' from the State Pollution Control Board of both the States.

(4) In case of transportation of tar-balls for utilization including co-processing, the sender shall intimate both the State Pollution Control Boards and utilising/co-processing unit before handing over the tar-balls to the transporter.

(5) In case of transit of tar-balls for utilization including co-processing or disposal through a State other than the States of origin and destination, the sender shall obtain specified routes for transporting tar ball, equipped with emergency response units and shall give prior intimation to the concerned State Pollution Control Board of the States of transit before handing over the wastes to the transporter.

(6) In case of transportation of tar-balls, the responsibility of safe transport shall be either of the sender or the receiver whosoever arranges the transport and has the necessary authorisation for transport from the concerned State Pollution Control Board. This responsibility should be clearly indicated in the manifest.

(7) The authorisation for transport shall be obtained either by the sender or the receiver on whose behalf the transport is being arranged.

16. Manifest system (Movement Document) for Tar-balls to be used within the country only. - (1) The sender of the tar-balls shall prepare seven copies of the manifest in Form 7 comprising of colour code indicated below and all seven copies shall be signed by the sender.

Copy number with colour code	Purpose
(1)	(2)
Copy 1 (White)	To be forwarded by the sender to the State Pollution Control Board after signing all the seven copies.
Copy 2 (Yellow)	To be retained by the sender after taking signature on it from the transporter and the rest of the five signed copies to be carried by the transporter.
Copy 3 (Pink)	To be retained by the receiver (actual user or treatment storage and disposal facility operator) after receiving the waste and the remaining four copies are to be duly signed by the receiver.
Copy 4 (Orange)	To be handed over to the transporter by the receiver after accepting waste.
Copy 5 (Green)	To be sent by the receiver to the State Pollution Control Board.
Copy 6 (Blue)	To be sent by the receiver to the sender.
Copy 7 (Grey)	To be sent by the receiver to the State Pollution Control Board of the sender in case the sender is in another State.

(2) The sender shall forward copy 1 (white) to the State Pollution Control Board, and in case the tar-balls is likely to be transported through any transit State, the sender shall intimate State Pollution Control Boards of transit States about the movement of the waste.

(3) No transporter shall accept tar ball from the sender for transport unless it is accompanied by signed copies 3 to 7 of the manifest.

(4) The transporter shall submit copies 3 to 7 of the manifest duly signed with date to the receiver along with the tar ball consignment.

(5) The receiver after acceptance of the tar ball shall hand over copy 4 (orange) to the transporter and send copy 5 (green) to his State Pollution Control Board and send copy 6 (blue) to the sender and the copy 3 (pink) shall be retained by the receiver.

(6) The copy 7 (grey) shall only be sent to the State Pollution Control Board of the sender, if the sender is in another State.

CHAPTER-V

AUTHORIZATION FOR MANAGEMENT OF TAR-BALLS

17. Grant of authorisation for managing tar ball. - (1) Every occupier who is engaged in handling, collection, storage, packaging, transportation, use, treatment, processing, recycling, recovery, pre-processing, co-processing, utilisation, offering for sale, transfer or disposal of the tar balls shall be required to make an application in Form 1 to the State Pollution Control Board and obtain an authorisation from the State Pollution Control Board within a period of sixty days from the date of publication of these rules.

Provided that an application for renewal of authorisation may be made three months before the expiry of such authorisation.

(2) On receipt of an application complete in all respects for the authorisation, the Pollution Control Board/ Pollution Control Committee may, after such inquiry as it considers necessary, and on being satisfied that the applicant possesses appropriate facilities for collection, storage, packaging, transportation, treatment, processing, use, destruction, recycling, recovery, pre-processing, co-processing, utilisation, offering for sale, transfer or disposal of the hazardous and other waste, as the case may be, and after ensuring technical capabilities and equipment complying with the standard operating procedure or other guidelines specified

by the Central Pollution Control Board from time to time and through site inspection, grant within a period of one hundred and twenty days, an authorisation in Form 2 to the applicant, which shall be valid for a period of five years subject to such conditions as may be laid down therein.

Provided that in the case of an application for renewal of authorisation, the State Pollution Control Board may, before granting such authorisation, satisfy itself that there has been no violation of the conditions specified in the authorisation earlier granted by it and same shall be recorded in the inspection report.

(3) The authorisation granted by the State Pollution Control Board under sub-rule (2) shall be accompanied by a copy of the field inspection report signed by that Board indicating the adequacy of facilities for collection, storage, packaging, transportation, treatment, processing, use, destruction, recycling, recovery, pre-processing, co-processing, utilisation, offering for sale, transfer or disposal of the hazardous and other wastes and compliance to the guidelines or standard operating procedures specified by the Central Pollution Control Board from time to time.

(4) The State Pollution Control Board may, for the reasons to be recorded in writing and after giving reasonable opportunity of being heard to the applicant, refuse to grant any authorisation under these rules.

(5) Every occupier authorised under these rules, shall maintain a record of Tar Balls managed by him in Form 3 and prepare and submit to the State Pollution Control Board, an annual return containing the details specified in Form 4 on or before the 30th day of June following the financial year to which that return relates.

(6) The State Pollution Control Board shall maintain a register containing particulars of the conditions imposed under these rules for management of Tar Balls and it shall be open for inspection during office hours to any interested or affected person.

(7) The authorised actual user of Tar Balls shall maintain records of Tar Balls purchased in a passbook issued by the State Pollution Control Board along with the authorisation.

(8) Handing over of the Tar Balls to the authorised actual user shall be only after making the entry into the passbook of the actual user.

(9) No person or entity shall engage in the collection, transportation, storage, or disposal of tar balls without valid authorisation.

18. Power to suspend or cancel an authorisation. - (1) The State Pollution Control Board, may, if in its opinion the holder of the authorisation has failed to comply with any of the conditions of the authorisation or with any provisions of the Act or these rules and after giving him a reasonable opportunity of being heard and after recording reasons thereof in writing cancel or suspend the authorisation issued under Rule 17 for such period as it considers necessary in the public interest.

(2) Upon suspension or cancellation of the authorisation, the State Pollution Control Board may give directions to the person whose authorisation has been suspended or cancelled for the safe storage and management of the Tar Balls, and such occupier shall comply with such directions.

19. Utilisation of Tar Balls - (1) The utilisation of Tar Balls as a resource or after pre-processing either for co-processing or for any other use, shall be carried out only after obtaining authorisation from the State Pollution Control Board on the basis of standard operating procedures or guidelines provided by the Central Pollution Control Board.

(2) Where standard operating procedures or guidelines are not available for specific utilisation, the approval has to be sought from Central Pollution Control Board which shall grant approval on the basis of trial runs

and thereafter, standard operating procedures or guidelines shall be prepared by Central Pollution Control Board:

Provided, if trial run has been conducted with respect to particular utilisation and compliance to the environmental standards has been demonstrated, authorisation may be granted by the State Pollution Control Board with respect to the same, without need of separate trial run by Central Pollution Control Board. Central Pollution Control Board shall intimate all the State Pollution Control Board regarding the successful trial runs.

(3) No trial runs shall be required for co-processing of Tar Balls in cement plants for which guidelines by the Central Pollution Control Board are already available. However, the actual users shall ensure compliance to the standards notified under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), for cement plant with respect to co-processing of waste;

20. Authorization for pre-processing and/or co-processing:

(1) Application for grant/renewal of authorisation for collection or storage or transport or reception or reuse or recovery or pre-processing or co-processing or utilisation or treatment or disposal of Tar-balls shall be as per Form 1.

(2) SPCBs may grant authorization to cement plants for co-processing of tar-balls as per Form 2. Further, SPCBs may also grant consent to the cement plants under Air (Prevention & Control) Act, 1981 for co-processing of any wastes not listed in Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.

(3) While co-processing all such wastes, cements plants shall comply with the emission standards prescribed for co-processing of wastes notified by MoEF&CC vide G.S.R.No. 497 (E) dated 10.05.2016.

(4) Use of tar-balls for co-processing in cement kilns does not warrant the requirement of Environment Clearance (EC) as per MoEF&CC Notification No. S.O.3518 (E) dated 23.11.2016.

(5) Cement plants may co-process or pre-process the tar-balls in their captive pre-processing facilities only after obtaining such authorization.

(6) Every TSDF or standalone pre-processing facility or cement plant who is engaged in pre-processing of wastes for co-processing shall have minimal requisite infrastructure facilities & operational controls as per the CPCB's guidelines.

CHAPTER-VI

ENVIRONMENTAL COMPENSATION

21. Environment Compensation. -

(1) Where any oil facility owner fails to manage oil in an environmentally sound manner and lead to any oil spill thereby causing loss, damage or injury to environment or public health including formation of tar balls, it shall be liable to pay environmental compensation which may be equal to such loss, damage or injury and expenditure incurred or to be incurred by District Administration towards management of tar-balls.

(2) Environmental compensation may also be levied on occupier, transporter, co-processor and operator or occupier of treatment facilities if they fail to manage or handle the tar balls in an environmentally sound manner.

(3) CPCB shall formulate a guideline for payment of environmental compensation toward meeting the damage caused by tar balls including the expenditure incurred towards its handling, cleaning of shores and additional penalty based on polluter pay principle.

- (4) No environmental compensation shall be imposed under this rule without an opportunity of being heard in this matter.
- (5) The State Pollution Control Board (SPCB) or Pollution Control Committee (PCC) may impose the environmental compensation in accordance with these rules.
- (6) The fund collected as environmental compensation under this rule shall be kept by SPCB or PCC in a separate account and shall be utilised only for meeting the expenditure incurred towards collection, storage, transportation, disposal of tar balls by the District Administration. In addition to this, fund so collected may also be utilised for research and assistance to District Administration for meeting the expenditure where the generator of tar ball is not known.

CHAPTER VII

MISCELLANEOUS

22. Establishment of a Steering Committee:

(1) The Central Government shall constitute a steering committee comprising representative from Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC), Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoPNG), Ministry of Ports, Shipping, and Waterways (MoPSW), Ministry of Defence (Indian Coast Guard), Ministry of Earth Sciences (MoES), Ministry of Home Affairs, Ministry of Science and Technology and Other stakeholders. The State Pollution Control Board/Pollution Control Committee shall be represented, as and when required. The Steering Committee may co-opt a knowledge partner or subject matter expert as a member, as and when required.

(2) The committee shall advise the Government of the coastal State/Union Territory and the other stakeholders about matters related to the implementation of these rules.

23. Records and returns. - (1) The occupier handling Tar-balls and operator of disposal facility shall maintain records of such operations in Form 3.

(2) The occupier handling tar-balls and operator of disposal facility shall send annual returns to the State Pollution Control Board in Form 4.

(3) The State Pollution Control Board based on the annual returns received from the occupiers and the operators of the facilities for disposal of tar-balls shall prepare an annual inventory of the tar-balls generated, recovered, utilised including co-processed and disposed and submit to the Central Pollution Control Board by the 30th day of September every year. The State Pollution Control Board shall also prepare the inventory of actual occupiers, common and captive disposal facilities and shall submit the information to Central Pollution Control Board every two years.

(4) The Central Pollution Control Board shall prepare the consolidated review report on management of tar-balls and forward it to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, along with its recommendations before the 30th day of December every year.

24. Accident reporting. –

(1) Where an accident occurs at the facility of the occupier handling Tar-ball and operator of the disposal facility or during transportation, the occupier or the operator or the transporter shall immediately intimate the State Pollution Control Board through telephone, e-mail about the accident and subsequently send a report in Form 8.

25. Action for contravention of these rules. - Any person who fails to comply or contravenes the provision of these rules may be liable to be proceeded with in accordance with the provisions of section 15 of the Act.

26. Power to remove difficulties: The Steering Committee shall examine issues leading to difficulty in the smooth implementation of these regulations and have the power to remove any such difficulty, and may refer any such issues, as deemed fit, for consideration of the Central Government.

27. Verification and audit. - (1) The Central Pollution Control Board by itself or through SPCBs/PCCs or Registered Environment Auditor as defined under Environment Audit Rules, 2025, shall undertake the compliance assessment of entities viz. Generator, Oil facility owner, Occupier, Operator of Treatment, Storage and Disposal Facility etc. regarding environmentally sound management of the tar-balls and other provisions of these rules through inspection and periodic audit, as deemed appropriate, and take actions against violations under rules of these rules.

(2) The corpus fund account and environmental compensation account shall be audited, annually, by the Comptroller and Auditor General of India (CAG).

28. Appeal. - (1) Any person aggrieved by an order of suspension or cancellation or refusal of authorisation or its renewal passed by the State Pollution Control Board may, within a period of thirty days from the date on which the order is communicated to him, prefer an appeal in Form 9 to the Appellate Authority, namely, the Environment Secretary of the State/ Union Territory.

(2) The Appellate Authority may entertain the appeal submitted after the expiry of the said period of thirty days, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(3) Every appeal filed under this rule shall be disposed of within a period of sixty days from the date of its filing.

FORM 1

[See rules 17(1), 20 (1)]

Application required for grant/renewal of authorisation for collection or storage or transport or reception or reuse or recovery or pre-processing or co-processing or utilisation or treatment or disposal of Tar-balls

Part A: General (to be filled by all)

1. (a) Name and address of the unit and location of facility:
- (b) Name of the occupier of the facility or operator of disposal facility with designation, Tel, Fax and e-mail:
- (c) Authorisation required for (Please tick mark appropriate activity or activities:

(i) Collection	
(ii) Storage	
(iii) Transportation	
(iv) Reception	
(v) Pre-processing	
(vi) Co-processing	
(vii) Utilisation	
(viii) Treatment	
(ix) Disposal	
(x) Incineration	

2. (a) Nature and quantity of tar-balls handled per annum (in metric tonne or kilo litre)
 - (b) Nature and quantity of tar-balls stored at any time (in metric tonne or kilo litre)
3. Provide copy of the Emergency Response Plan (ERP) which should address procedures for dealing with emergency situations (viz. Spillage or release or fire). Such ERP shall comprise the following, but not limited to:
- a) Containing and controlling incidents so as to minimise the effects and to limit danger to the persons, environment and property;
 - b) Implementing the measures necessary to protect persons and the environment;
 - c) Description of the actions which should be taken to control the conditions at events and to limit their consequences, including a description of the safety equipment and resources available;
 - d) Arrangements for training staff in the duties which they are expected to perform;
 - e) Arrangements for informing concerned authorities and emergency services; and
 - f) Arrangements for providing assistance with off-site mitigatory action.
4. Provide undertaking or declaration to comply with all provisions including the scope of submitting bank guarantee in the event of spillage, leakage or fire while handling the Tar-balls.

Part B: To be filled by Occupier of Tar-balls other than Treatment, Storage and Disposal Facility operators, pre-processors or co-processors

2. Provide following details for Collection, Storage, or Reception:
 - (i) Location of storage site with layout map;
 - (ii) Storage capacity;
 - (iii) Arrangement for transportation to TSDF;
 - (iv) Firefighting systems;
 - (v) Details of the environmental safeguards and environmental facilities provided for safe handling of the tar-balls.

Part C: To be filled by Treatment, Storage and Disposal Facility operators

2. Provide details of the facility including:
 - (i) Location of site with layout map;
 - (ii) Safe storage of the tar-balls and storage capacity;
 - (iii) The treatment processes and their capacities;
 - (iv) Secured landfills;
 - (v) Incineration, if any;
 - (vi) Leachate collection and treatment system;
 - (vii) Firefighting systems;
 - (viii) Environmental management plan including monitoring; and
 - (ix) Arrangement for transportation of tar-balls from generators.

Part D: To be filled by pre-processors or co-processors of tar-balls

1. Nature and quantity of different tar-balls received per annum from domestic sources;
2. Installed capacity as per registration issued by the District Industries Centre or any other authorised Government agency. Provide copy;
3. Provide details of secured storage of tar-balls including the storage capacity;
4. Process flow sheet indicating equipment details, outputs (emissions, waste water, etc.). Attach separate sheets;

5. Provide details of pollution control systems such as Effluent Treatment Plant, scrubbers, etc. including mode of disposal of waste;
6. Provide details of occupational health and safety measures;
7. Has the facility been set up as per Central Pollution Control Board guidelines? If yes, provide a report on the compliance with the guidelines;
8. Arrangements for transportation of tar-balls to the facility;

**Signature of the Applicant
Designation**

Date.....

Place.....

FORM 2

[See rules 17(2), 20 (2)]

FORM FOR GRANT OR RENEWAL OF AUTHORISATION BY STATE POLLUTION CONTROL BOARD TO THE OCCUPIERS, RE-PROCESSORS, CO-PROCESSORS AND OPERATORS OF DISPOSAL FACILITIES

1. Number of authorisation and date of issue;
2. Reference of application (No. and date):
3.ofis hereby granted an authorisation based on the enclosed signed inspection report for collection, reception, storage, transport, pre-processing, co-processing, treatment, disposal of Tar-balls on the premises situated at.....

Details of Authorisation

Authorised mode of disposal or Co-processing, etc.	Quantity (ton/annum)

(1) The authorisation shall be valid for a period of

(2) The authorisation is subject to the following general and specific conditions (*Please specify any conditions that need to be imposed over and above general conditions, if any*):

Date:

**Signature of Issuing Authority
Designation and Seal**

FORM 3

[See rules 12 (5), 17(5), 23(1)]

1. Name and address of the facility :
2. Date of issuance of authorisation and its reference number:
3. Description of tar-balls handled (Collected or Received):

Date	Total Quantity (in MT)	Method of Storage	Destined to or received from

4. Date wise description of management of tar-balls sent and to whom in case of pre-processor:
5. Date of environmental monitoring:

Signature of occupier

Date.....

Place.....

FORM 4

[See rules 12(6), 17(5), 23 (2)]

FORM FOR FILING ANNUAL RETURNS

[To be submitted to State Pollution Control Board by 30th day of June of every year for the preceding period April to March]

1. Name and address of facility:
2. Authorisation No. and Date of issue:
3. Name of the authorised person and full address with telephone, fax number and e-mail:
4. Generation during the year, wherever applicable

Part A. To be filled by Tar-balls Occupiers

1. Total quantity of tar-balls collected
2. Quantity dispatched
 - (i) to disposal facility
 - (ii) to co-processors or pre-processor
 - (iii) others
3. Quantity utilised in-house, if any -
4. Quantity in storage at the end of the year -

Part B. To be filled by Treatment, storage and disposal facility operators

1. Total quantity of tar-balls received -
2. Quantity in stock at the beginning of the year -
3. Quantity treated -
4. Quantity disposed in landfills as such and after treatment -
5. Quantity incinerated (if applicable) -
6. Quantity processed other than specified above -
7. Quantity in storage at the end of the year -

Part C. To be filled by recyclers or co-processors or other users

1. Quantity of tar-balls received during the year -
2. Quantity in stock at the beginning of the year -
3. Quantity co-processed-
4. Quantity disposed -
5. Quantity in storage at the end of the year -

Signature of the Occupier or
Operator of the disposal facility

Date.....

Place.....

FORM 5

[See rules 14 (1), 15(2)]

LABELLING OF CONTAINERS OF TAR-BALLS

Handle with care

Tar-balls and characteristics	Incompatible wastes and substances.....
Total quantity	Date of storage
Physical State of the Tar ball (Solid/Semi-solid/liquid):	
Sender's name and address	Receiver's name and address
Phone.....	Phone.....
E-mail.....	E-mail.....
Tel. and Fax No.....	Tel. and Fax No.....
Contact person.....	Contact person.....
In case of emergency please Contact	

Note:

1. Background colour of label - fluorescent yellow.
2. The word, 'TAR-BALLS' and 'HANDLE WITH CARE' to be prominent and written in red, in Hindi, English and in vernacular language.

FORM 6

[See rule 15 (2)]

TRANSPORT EMERGENCY (TREM) CARD

[To be carried by the transporter during transportation of tar-balls, provided by the sender of tar-balls]

1. Characteristics of tar-balls:

S. No.	Type	Physical Properties	Chemical constituents	Exposure hazards	First Aid requirements

2. Procedure to be followed in case of fire :

3. Procedure to be followed in case of spillage/accident/explosion:

4. For expert services, please contact:

(i) Name and Address:

(ii) Telephone No.:

(Name, contact number and signature of sender)

Date:.....

Place:.....

FORM 7

[See rule 16 (1)]

MANIFEST FOR TAR-BALLS

1.	Sender's name and mailing address (including Phone No. and e-mail)	
2.	Sender's authorisation No.	
3.	Manifest Document No.	
4.	Transporter's name and address: (including Phone No. and e-mail)	
5.	Type of vehicle	(Truck/Tanker/Special Vehicle)
6.	Transporter's registration No.	
7.	Vehicle registration No.	
8.	Receiver's name and mailing address (including Phone No. and e-mail)	
9.	Receiver's authorisation No.	
10.	Waste description	
11.	Total quantity : No. of Containersm3 or MTNos.
12.	Physical form	(Solid/Semi Solid/Sludge/Oily/Tarry/Slurry/Liquid)
13.	Special handling instructions and additional information	
14.	Sender's Certificate	I hereby declare that the contents of the consignment are fully and accurately described above by proper shipping name and are categorised, packed, marked, and labelled, and are in all respects in proper conditions for transport by road according to applicable national government regulations.

	Name and stamp:	Signature:	Month	Day	Year
15.	Transporter acknowledgement of receipt of Wastes				
	Name and stamp:	Signature:	Month	Day	Year
16.	Receiver's certification for receipt of hazardous and other waste				
	Name and stamp:	Signature:	Month	Day	Year

FORM 8

[See rule 24(1)]

FORMAT FOR REPORTING ACCIDENT

[To be submitted by the facility or sender or receiver or transporter to the State Pollution Control Board]

1. The date and time of the accident :
2. Sequence of events leading to accident :
3. Details of tar-balls involved in accident :
4. The date for assessing the effects of the accident on health or the environment :
5. The emergency measures taken :
6. The steps taken to alleviate the effects of accidents :
7. The steps taken to prevent the recurrence of such an accident :

Date:
Place

Signature:
Designation:

FORM 9

[See rule 28 (1)]

**APPLICATION FOR FILING APPEAL
AGAINST THE ORDER PASSED BY STATE POLLUTION CONTROL BOARD**

1. Name and address of the person making the appeal :
2. Number, date of order and address of the authority, which passed the order, against which appeal is being made : (Certified copy of the order be attached)
3. Ground on which the appeal is being made:
4. Relief sought for:
5. List of enclosures other than the order referred in point 2 against which the appeal is being filed:

Signature.....

Name and address.....

Date:

[F. No. HSM-11/22/2022-HSM]

NEELESH KUMAR SAH, Jt. Secy.